

“खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र”  
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

2022/239

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,  
शाहपुरा

प्रशासन गाँवों के संग  
अभियान - 2021

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम 285  
जमाबन्दी सम्बन्ध 2076 से 2079 के खाता संख्या 674  
में हजा प्रती आग्रता है। जबकि मेरा वास्तविक नाम  
हजादेवी प्रती आगीरवा है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

दिनांक:- 08-12-2021

रिपोर्ट-पटवारी एवं भूअ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम 285 के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्बन्ध 2076 से 79  
खाता संख्या 674 में प्रार्थी का नाम हजा प्रती आग्रता दर्ज है। जबकि मुताबिक  
जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम हजादेवी प्रती आगीरवा है। जो संशोधित  
जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भूअ.नि. [Signature]

[Signature]  
पटवारी

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा सा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत  
राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा  
पर रिपोर्ट पटवारी ..... व भूअ.नि. .... एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आ  
ग्राम 285 की जमाबन्दी सम्बन्ध 2076 से 2079 की खाता संख्या 674 में प्र  
नाम हजा प्रती आग्रता के बजाय हजादेवी प्रती आगीरवा किये जाने हेतु अभिशंभा की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम 285 जमाबन्दी सम्बन्ध 2076-79  
संख्या 674 में दर्ज प्रार्थी का नाम हजा आग्रता के स्थान पर हजादेवी प्रती आगीरवा संश  
आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधि  
प्रभारी अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उक्त 17/12  
10/06/22